

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य/1127/2019- 42/21-22 4.64/राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- e-Governance के अन्तर्गत विभागीय MIS Cell, Web Information Cell - cum- e-Procurement Cell के रख-रखाव, आवश्यक उपकरणों/ सामाग्रियों के क्रय हेतु रु० 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश-स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत विभागीय MIS Cell, Web Information Cell -cum- e-Procurement Cell के रख-रखाव, आवश्यक उपकरणों/ सामाग्रियों के क्रय हेतु रु० 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. e-Governance के अन्तर्गत विभागीय MIS Cell, Web Information Cell -cum- e-Procurement Cell के रख-रखाव, आवश्यक उपकरणों/ सामाग्रियों के क्रय हेतु राशि एवं अधिष्ठापन का स्थान परिशिष्ट-I पर संलग्न है।
3. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, राँची होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।
4. संबंधित सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया क्रय नियमावली के अनुसार अथवा DGS&D दर पर अथवा Gem Portal पर किया जायगा एवं निहित शर्तों के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
5. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष 052 - मशीनरी तथा उपस्कर, उपशीर्ष - 70 - ई-गवर्नेन्स, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59- अन्य व्यय (शीर्ष 49S - 4701 - 80 - 052 - 70-00 - 07 - 59) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
6. ई०-गवर्नेन्स मद में वर्ष 2021-22 के स्वीकृत बजट उपबंध में कुल रु० 50.00 लाख का बजटीय उपबंध है।
7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
12. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य/1127/2019- 42/21-22 4-40 /राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य/1118/2019- 42/21-22 4-40 /राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य/1118/2019- 42/21-22 4-40 /राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/संयुक्त सचिव (अभि०)/ उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य/1118/2019- 42/21-22 4-40 /राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/PMC/कार्य/1118/2019- 42/21-22 4-40 /राँची, दिनांक 28.02.2022

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य(विभागीय)मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची

प्रमंडल का नाम :- जल पथ प्रमण्डल, राँची

क्र०	उपकरण का विवरण	कार्यालय जहाँ अधिष्ठापित किया जाना है।	संख्या	राशि	अभियुक्ति
1	Materials and accessories required for MIS Cell	MIS Cell, Web Information Cell -cum- e-procurement Cell, Water Resoueces Department, Ranchi	LS	500000	
	Toner for Photo Copier				
	Cartridge for Printer				
	Cartridge for Colour Printer				
	Paper (A4) & Legal Size (75 g/m ²)				
	Pen Drive/Extrenal Hard Disk				
	Plastic Folder and Binding Material				
	CD (Recordable and Rewritable)				
	Software, Books, Stationary etc.				
	Annual Maintenance & Repair of equipments i.e. Photo Copier, Computer, Printer, UPS, Battery, Electrical installation and Internet monthly rental payment etc. of MIS Cell, Nepal House, Ranchi.				
			LS	200000	
2	Repair/Maintenance and Internet monthly rental payment of e-procurement cell	e-Procurement Cell, Water Resources Department, Ranchi	LS	100000	
Grand Total :-				800000	

इस कार्य में L.S. रु० 8.0 लाख (आठ लाख रुपये) व्यय होने की संभावना है।